इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2013-भाद्र 27, शक 1935

## परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1-6-2011-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय सेवा) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार में, कॉलम (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	उस पद का नाम	उस पद का नाम	अर्हकारी	विभागीय पदोन्नति समिति के
	जिससे पदोन्नति	जिस पर पदोन्नति	सेवा	सदस्यों के नाम
	की जानी हो	की जानी हो		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- "1. अपर सचिव/उपसचिव, परिवहन विभाग—अध्यक्ष
- 2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) —
- 3. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन)—**सदस्य/सचिव**
- 4. आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
  - --सदस्य''.

No. F-1-6-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Transport Deprtment Class III (Ministerial Service) Recruitment Rules, 2011, namely:—

#### **AMENDMENT**

In the said rules, in Schedule IV, in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the post from where promotion is to be made	Name of the post from which the promotion is to be made	Qualifying service period	Name of members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				"1. Additional Secretary/Deputy Secretary, Transport Department — Chairman
				<ol> <li>Additional Transport Commissioner</li> <li>(Enforcement) — Member</li> </ol>
				3. Joint Transport Commissioner (Administration) —Member/Secretary
				<b>4.</b> Representative of the reserved category (Nominated by the Chairman) — <b>Member</b> ".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनू तिवारी, अपर सचिव.